न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवा राम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 557/2015

रामूराम पुत्र श्री मांगूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम महेशवास खुर्द, पटवार क्षेत्र रोजदा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

– अपीलान्ट्स–

बनाम

1. रामदेव पुत्र श्री श्योबक्ष
2. रामचन्द पुत्र श्री श्योबक्ष
3. कानाराम पुत्र श्री श्योबक्ष
4. गोमाराम पुत्र श्री श्योबक्ष
5. रामनारायण पुत्र श्री रामदेव
6. लक्ष्मण पुत्र श्री रामदेव
7. बंशी पुत्र श्री रामचन्द
8. रामकुमार पुत्र श्री रामचन्द
9. बन्ना पुत्र श्री रामचन्द
10. सागर पुत्र श्री कानाराम
11. हरि पुत्र श्री कानाराम
12. सुग्रीव पुत्र श्री कानाराम
13. जवान पुत्र श्री गोमाराम

जाति जाट, निवासी ग्राम महेशवास खुर्द, पटवार क्षेत्र रोजदा, तह0 आमेर, जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट्स –

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1–श्री हेमन्त सोगानी अपीलांट की ओर से।

2–श्री लालचन्द जाट रस्पोडेंट्स की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :–05–04–2018

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर दिनांक 26–10–2015 प्रार्थना पत्र संख्या 212/2011 उनवानी रामूराम बनाम रामदेव व अन्य बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद–पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 93/276 रकबा 0.20 हैक्टेयर ग्राम महेशवासखुर्द के संबंध में प्रस्तुत किया गया है तथा वाद–पत्र के साथ प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी के द्वारा कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि उनकी खातेदारी की भूमि है तथा अप्रार्थीयान द्वारा भूमि पर जबरन प्रवेश कर निर्माण आदि करने का प्रयास किया जा रहा है अतः अप्रार्थीयान

को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ता–फैसला वाद पाबंद फरमाया जावे। अप्रार्थीयान के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की भूमि नहीं है तथा पूर्वजों के समय से ही अप्रार्थीयान की भूमि रही है जिसपर उनके द्वारा मकान व बाडे बनवाये हुए है। अप्रार्थीयान के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाने का अनुतोष चाहा गया। प्रार्थी द्वारा जवाब उल जवाब प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26–10–2015 को अपीलाधीन आदेश पारित कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया गया एवं प्रार्थी को ता–दौराने वाद पाबंद किया गया कि वह अप्रार्थी के वादग्रस्त आराजी के शांतिपूर्वक उपयोग में बाधा कारित नहीं करें।उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर दिनांक 26/10/2015 तथ्यों एवं कानून के विपरीत होने की वजह से निरस्तनीय है। ग्राम महेशवास खुर्द, तहसील आमेर जिला जयपुर स्थिति भूमि खसरा नम्बर 93/276 रकबा 0.20 हैक्टै0 अन्य भूमि खसरा नम्बर 35 रकबा 2.31 हैक्टै0, 89 रकबा 1.76 हैक्टै0, 98 रकबा 2.07 हैक्टै0, व खसरा नम्बर 103 रकबा 2.11 हैक्टै0, के साथ कुल किता 5 रकबा 8.45 हैक्टै अपीलार्थी/वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है, राजस्व भू–अभिलेखों में उक्त भूमि अपीलार्थी के ही नाम खातेदारी दर्ज है। रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण की भूमि विवादग्रस्त की खातेदारी, कब्जे काश्त तथा उपयोग व उपभोग से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है परन्तु फिर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायायल ने अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेंट के विरूद्ध प्रस्तुत आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किये जाने का अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि खसरा नम्बर 93/276 पर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य कर लेने पर आमादा होने तथा मौके पर काफी मात्रा में निर्माण सामग्री एकत्रित कर लेने की वजह से वाद कारण उत्पन्न होने पर वादी/अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु दावा प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण द्वारा दावे के साथ प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर उक्त खसरा नम्बर 93/276 की भूमि को खसरा नम्बर 93 का ही एक भाग होना मानते हुए और उक्त भूमि आबादी दर्ज होने का कथन करते हुए प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। भूमि खसरा नम्बर 93/276 का खसरा नम्बर 93 की भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध ना होने तथा उक्त भूमि पर अपीलार्थी/वादी के खातेदारी अधिकार तथा वास्तविक कब्जा स्पष्ट होने तथा अप्रार्थीगण के भूमि विवादग्रस्त में किसी प्रकार के कोई अधिकार ना होना स्पष्ट होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त किये जाने तथा साथ ही वादी को ही इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया कि प्रार्थी/वादी, अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंटस को वादग्रस्त आराजी के शान्तिपूर्ण उपयोग व उपभोग में बाधा कारित नहीं करे।अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश क्षैत्राधिकार के बाहर होने की वजह से पूर्णतः

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

अवैध है। यह कतई निराधार हे कि भूमि खसरा नम्बर 93/276 खसरा नम्बर 93 रकबा 0.41 हैक्टे0 से ही बना हो, पत्रावली पर उक्त आशय की कोई साक्ष्य ना होने के बावजूद भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के उक्त भूमि खसरा नम्बर 93/276 खसरा नम्बर 93 का ही एक भाग होना मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 93/276 साबिका खसरा नम्बर 61 मिन से बना है और हाल खसरा नम्बर 93 साबिक खसरा नम्बर 59 रकबा 0.41 हैक्टै0 से बना है। साबिका खसरा नम्बर 61 संयुक्त कृषि जोत कुल किता 14 रकबा 98 बीघा 9 बिस्वा का एक भाग है जबकि साबिक खसरा नम्बर 59 गैर मुमकिन आबादी की भूमि होकर राजकीय भूमि के रूप में दर्ज है। इस प्रकार प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध ना होने के बावजूद भी वे बिना किसी आधार के उक्त भूमि पर प्रार्थी के कब्जे काश्त तथा उपयोग एवं उपभोग में अनुचित हस्तक्षेप करते हैं ऐसी स्थिति में उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक होने के बावजूद भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलार्थी/वादी भूमि खसरा नम्बर 93/276 का दर्ज खातेदार काबिज काश्तकार है, उक्त भूमि कृषि भूमि के रूप में दर्ज है और अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि के समीप काफी मात्रा में निर्माण सामग्री एकत्रित कर ली है और वे उक्त भूमि को आवासीय भूमि होना मानते हुए उक्त भूमि पर निर्माण कार्य कर लेने की कोशिश में है और प्रार्थी/वादी द्वारा जो यह कथन किया गया है कि वे उक्त भूमि पर निर्माण कार्य कर लेने पर आमादा है उससे उन्होनें इन्कार नही किया है ऐसी स्थिति में दावे में अंतिम निर्णय होने तक कृषि भूमि की कृषि प्रवृति को यथावत रखे जाने तथा अप्रार्थीगण को भूमि विवादग्रस्त की मौजूदा प्रकृति परिवर्तित करने तथा उन्हें उक्त भूमि पर निर्माण करने से रोका जाना आवश्यक होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। भूमि विवादग्रस्त पर प्रार्थी/वादी का प्रथमदृष्टया केस सन्देह से बाहर से स्पष्ट है। दर्ज खातेदार काबिज काश्तकार के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप ना किये जाने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण के कथन मात्र पर बिना किसी आधार के उनका उक्त भूमि पर अधिकार तथा उपयोग व उपभोग करने का अधिकार होना मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो पूर्णत अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है।अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनाक 26/10/2015 निरस्त फरमाया जाकर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने का अनुतोष चाहा गया।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहरातें हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि का वह रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा अप्रार्थीगण का भूमि से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा कोई काउन्टर प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

किया गया है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के द्वारा दिये गये जवाब प्रार्थना–पत्र को बिना किसी साक्ष्य सबूत के आधार पर सत्य मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 93/276 को पूर्व खसरा नम्बर 93 से बना हुआ कथन किया गया है जब कि मिलान क्षैत्रफल से यह स्पष्ट है कि वह साबिक खसरा नम्बर 61 से बना है। जब तक अन्यथा साबित नहीं कर दिया जावे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टियों को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता है। अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक तीनों घटक प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में संयुक्त खातेदारी की भूमि रही है। अपीलान्ट/वादी के पिता मांग्या थे तथा रेस्पोडेन्ट श्योबक्स के वारिस है। वादी का यह कथन सही नहीं है कि खसरा नम्बर 93/276 साबिक खसरा नम्बर 61 से बना हो। खसरा नम्बर 93/276 खसरा परिशोधन पत्र के अनुसार मांग्या को नहीं दिया गया था परन्तु वह उसकी खातेदारी में दर्ज कर दिया गया है। वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्टस के आवास बने हुये है वे पीढियों से निवास कर रहे है। पूर्व की संयुक्त खातेदार के हिसाब से अपीलान्ट वादग्रस्त भूमि के अधिकतम 1/6 भाग के खातेदार हो सकते है जबकि अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्टस को पडौसी काश्तकार कथन करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है जो कि स्वीकार योग्य नहीं है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 1969आरआरडी 231,1992आरआरडी 117 प्रस्तुत किये गये।

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अपीलान्ट के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि का खातेदार कथन करते हुए तथा अप्रार्थीगण को पडौसी काश्तकार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी ग्राम महेशवास खुर्द संवत 2067 से 2070 की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके खाता सख्या 69 के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 93/276 रामू राम पुत्र मांगू राम कौम जाट की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है जो कि प्रार्थी है। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि को प्रार्थी द्वारा भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों से सांठ–गाठ करते हुए उनके पूर्वजों की आबादी भूमि खसरा नम्बर 93 से कम करके अपने नाम दर्ज करवा ली गई है तथा उक्त भूमि पर उनका कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा यह भी कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि पर काफी अर्से मकान व बाडा निर्माण कर वे निवास करते आ रहे है अतः प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र में किये गये कथन तथा तत्पश्चात जवाब प्रार्थना–पत्र एवं जवाब उल जवाब में किये गये कथनों को दर्ज किया गया है तथा अपने द्वारा किये गये विवेचन में अंकित किया है कि " उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। आराजी खसरा नम्बर 93/276 रकबा 0.20 हैक्टेयर प्रार्थी की आराजी भूमि नहीं है। भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान कर्मचारियों व अधिकारियों से मिलीभगत

अपील प्राधिकारी जयपुर

कर अप्रार्थी सख्या 1 ता 4 के पूर्वजों की आबादी भूमि खसरा नम्बर 93 में से रकबा 0.20 हैक्टेयर कम करवाकर प्रार्थी के पूर्वज व प्रार्थी ने अपने नाम दर्ज करवाई है जिसको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर सन 1958 में मकान व कच्चे खाम घर तथा पशुओं के बाडे बना रखे है इससे प्रार्थी का कोई संबंध व सरोकार नहीं है ख0 नं0 93/276 की भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज की गई है जिसके संबंध में अप्रार्थीगण रिकॉर्ड दुरूस्ती की कार्यवाही अलग से कर रहे है। अप्रार्थीगण ने कभी भी प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी वादग्रस्त आराजीयात पर प्रारंभ से ही अप्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है इसलिये प्रार्थी का उक्त कथन सरासर गलत साबित हो जाता है । प्रार्थी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है इसलिये प्रार्थी को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये। जबकि वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण का सन 1958 से ही निर्माण किया हुआ है, मकान बनाए हुए है एवं आवास कर रहे है। कच्चे खाम घर में जानवरों का चारा डालते आ रहे है तथा जानवर बांधने के लिए बाडा बना रखा है तथा अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग व उपभोग करते आ रहे है इसके संबंध में प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है।वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी/प्रतिवादीगण के हक में भू–प्रबंध परिशोधन पत्र जारी किया गया है अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी को ता दौराने वाद पाबंद किया जाता है कि अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी के शांतिपूर्वक उपयोग व उपभोग में बाधा कारित नहीं करे।''उपर्युक्त विवेचन व निष्कर्ष को पढने मात्र से यह स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने विवेचन में अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित किये गये कथनों को रूबरू स्वीकार किया गया है तथा उक्त कथन को किन आधारों पर सत्य माना गया है इस बाबत कोई टिप्पणी नहीं की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र की स्टेज पर ही वाद का निस्तारण कर दिये जाने जैसे कार्यवाही की गई है। अप्रार्थीगण द्वारा कोई काउन्टर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है फिर भी प्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमा दिया गया है। अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक तीनों घटकों पर कोई विचार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मिलान क्षैत्रफल से स्पष्ट है कि हाल खसरा नम्बर 93/276 साबिक खसरा नम्बर 61 मिन से बना है तथा हाल खसरा नम्बर 93 साबिक खसरा नम्बर 59 से बना है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण का यह कथन कि खसरा नम्बर 93 में से 0.20 हैक्टेयर कम कर प्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गई है वह प्रथमदृष्टया सत्य नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजों के विपरित अपना निष्कर्ष पारित किया गया है।प्रकरण की इस स्टेज पर यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा अन्यथा साबित नहीं कर दिये जाने तक रिकॉर्डेड खातेदार का ही कब्जा कृषि भूमि पर माने जाने की अवधारणा की जावेगी। अतः प्रथमदृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। प्रार्थी खातेदार काश्तकार होने से तथा अप्रार्थीगण द्वारा उसकी खातेदारी भूमि पर निर्माण आदि किये जाने से अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होना संभावित है न कि अप्रार्थीगण को। अप्रार्थीगण भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

के खातेदार नहीं होने से तथा उनके द्वारा किया गया यह कथन कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 93 का भाग है, दस्तावेजो से प्रथमदृष्टया साबित नही होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रकरण में वाद का निस्तारण साक्ष्य सबूत के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है परन्तु इस स्टेज पर गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये वगैर तथा प्रथमदृष्टया केस, अपूर्णीय क्षति, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के तथ्य गुणावगुण पर निर्णय में सहायक हो सकते है परन्तु इस स्टेज पर उक्त दृष्टांतों के तथ्य प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। उपर्युक्त विवेचन से अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

8– अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–10–2015 को निरस्त कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ता–फैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 93/276 रकबा 0.20 हैक्टेयर वाके ग्राम महेशवास खुर्द पर किसी प्रकार से निर्माण कार्य न करें, तथा उक्त आराजीयात में खडे हुए वृक्षों को न काटे तथा प्रार्थी के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित न करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 05–04–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर